बिहार सरकार
ग्रामीण कार्य विभाग

संकल्प

सं0सं0 :– 2/अ0प्र0–1–142/21 3268 /पटना, दिनांक :– 13.12.24

ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल जहानाबाद अंतर्गत मुख्यमंत्री ग्राम सम्पर्क योजना के तहत सरिस्ताबाद से पछैती तक पथ निर्माण कार्य की मुख्य अभियंता–1 की अध्यक्षता में गठित त्रिसदस्यीय जॉच समिति से जॉच कराई गई। मुख्य अभियंता–1 के पत्रांक 4156 दिनांक 26.11.2024 द्वारा जॉच समिति का निरीक्षण प्रतिवेदन विभाग को समर्पित किया गया। उक्त जॉच प्रतिवेदन के समीक्षोपरान्त पथ निर्माण कार्य में सरकारी भूमि की जॉच किये बिना ही मनमाने तरीके से प्राक्कलन तैयार करने एवं उसी प्राक्कलन पर योजना का कार्य प्रारंभ करने तथा बिहार सरकारी सेवक आचार नियमावली 1976 के नियम 3(1) का उल्लंघन करने संबंधी आरोपों के लिए श्री अर्जुन चौधरी, तदेन कनीय अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल जहानाबाद के विरूद्ध आरोप पत्र गठित करने के प्रस्ताव पर अनुशासनिक प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त किया गया। तद्‌लोक में आरोप पत्र में अंतर्विष्ट आरोपों के लिए विभागीय पत्रांक 2055 दिनांक 27.09.2023 द्वारा श्री चौधरी से स्पष्टीकरण की मांग की गई। श्री चौधरी के पत्रांक शून्य दिनांक 29.02.2024 द्वारा स्पष्टीकरण समर्पित किया गया जिसमें श्री चौधरी द्वारा उनके विरूद्ध लगाए गए आरोपों से इन्कार किया गया है।

2. श्री अर्जुन चौधरी दिनांक 30.04.2024 को सहायक अभियंता के पद से सेवानिवृत हो चुके है।

3. श्री चौधरी के विरूद्ध प्रतिवेदित आरोपों एवं इनके स्पष्टीकरण की अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा सम्यक समीक्षा की गयी। समीक्षोपरान्त इनके स्पष्टीकरण को अस्वीकृत किया गया तथा आरोप पत्र में अंतर्विष्ट आरोपों की वृहत जॉच के लिए बिहार पेंशन नियमावली के नियम 43 (बी) के तहत विभागीय कार्यवाही संचालित किये जाने का निर्णय लिया गया है।

4. अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा लिये गए निर्णय के आलोक में विभागीय कार्यवाही में मुख्य अभियंता–2, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार को संचालन पदाधिकारी तथा श्रीमती सुप्रिया रानी, सहायक अभियंता, मुख्य अभियंता–2 का कार्यालय, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार को प्रस्तुतीकरण पदाधिकारी नियुक्त किया जाता है।

5. श्री अर्जुन चौधरी, तदेन कनीय अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल जहानाबाद सम्प्रति सेवानिवृत सहायक अभियंता से अपेक्षा की जाती है कि वे अपने बचाव के संबंध में अपना पक्ष रखने हेतु, जैसा कि संचालन पदाधिकारी अनुमति दे, उनके समक्ष स्वयं उपस्थिति होंगे।

आदेश:– आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की एक प्रति संचालन पदाधिकारी/प्रस्तुतीकरण पदाधिकारी/आरोपित पदाधिकारी को अनुलग्नक की प्रति के साथ जानकारी एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु भेज दी जाय।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

10/12/24

(डॉ0 फतेह फैयाज)

सयुक्त सचिव

21

ज्ञापांक :— 2/अ0प्र0—1—142/21 /पटना, दिनांक :—

प्रतिलिपि :— आरोप पत्र (साक्ष्य सहित) की प्रति के साथ मुख्य अभियंता—2, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार —सह—संचालन पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अनुरोध है कि सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र सं0 2178 दिनांक 28.02.2017 के आलोक में श्री अर्जुन चौधरी, सेवानिवृत सहायक अभियंता के विरूद्ध विभागीय कार्यवाही यथाशीघ्र सम्पन्न कर निर्धारित अवधि में जाँच प्रतिवेदन मंतव्य सहित तीन प्रतियों में उपलब्ध कराने की कृपा की जाय।

अनु0 :— यथोक्त।

संयुक्त सचिव

ज्ञापांक :— 2/अ0प्र0—1—142/21 /पटना, दिनांक :—

प्रतिलिपि :— आरोप पत्र (साक्ष्य सहित) की प्रति के साथ श्रीमती सुप्रिया रानी, सहायक अभियंता, मुख्य अभियंता—2 का कार्यालय, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार—सह—प्रस्तुतीकरण पदाधिकारी एवं श्री अर्जुन चौधरी, तदेन कनीय अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल जहानाबाद सम्प्रति सेवानिवृत सहायक अभियंता पत्राचार का पता—ग्राम—गढ़हारा, थाना—बरौनी, जिला—बेगूसराय, पिनकोड—851126, मोबाईल सं0 7654617016 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अनु0 :— यथोक्त।

संयुक्त सचिव

ज्ञापांक :— 2/अ0प्र0—1—142/21 3168 /पटना, दिनांक :— 13.12.21

प्रतिलिपि :— महालेखाकार, बिहार, वीरचन्द पटेल पथ, पटना/प्रशाखा पदाधिकारी—4/5, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना/आई0टी0 मैनेजर, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

संयुक्त सचिव